

भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०-85/2017-13

आदेश की तिथि	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
23.08.2018	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, गोईलकेरा के पत्रांक 226, दिनांक 01.08.2018 द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 01.08.2018 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, गोईलकेरा ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक श्रीमती इलिसबा धान, पति-स्व० आजर धान, जाति-मुण्डा (अ.ज.जा.) ग्राम-गोईलकेरा, थाना-गोईलकेरा, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प) प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा-गोईलकेरा क्रिस्तानटोली, थाना नं०-530, खाता नं० 108, प्लॉट नं० क्रमशः 320, 321, रकवा क्रमशः 0.03 ए०, एवं 0.10 ए० कुल रकवा:-0.13 ए०, क्रेता मसीह दास भुईयाँ, पिता-स्व० जयमसीह भुईयाँ, ग्राम-कतिंगकेल, जाति-मुण्डा (अ.ज.जा.), थाना-गोईलकेरा, जिला प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया।</p> <p>जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक श्रीमती इलिसबा धान, पति-स्व० आजर धान, जाति-मुण्डा (अ.ज.जा.) ग्राम-गोईलकेरा, थाना-गोईलकेरा, जिला प० सिंहभूम के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते हैं। आम इश्तेहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है।</p> <p>बिक्रेता एवं क्रेता थाना-गोईलकेरा, जिला-प० सिंहभूम चाईबासा के निवासी हैं। बिक्रेता एवं क्रेता का दोनों का जाति मुण्डा (अ.ज.जा.), समुदाय के सदस्य हैं।</p> <p>बिक्रेता उक्त वर्णित भूमि चिकित्सा हेतु बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि के बिक्री के पश्चात बिक्रेता को चक्रधरपुर अंचल अंतर्गत रकवा 0.13 ए० अवशेष भूमि बचता है। अंचल अधिकारी, गोईलकेरा द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन क्रेता मसीह दास भुईयाँ, पिता-स्व० जयमसीह भुईयाँ, ग्राम-कतिंगकेल, जाति-मुण्डा (अ.ज.जा.), थाना-गोईलकेरा, जिला प० सिंहभूम को उक्त भूमि बेचने की स्वीकृति छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(i) प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत दी जाती है।</p> <p>आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें।</p>	

लेखापित

Devi
23.8.18

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर

Devi
23.8.18

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर